State Council of Educational Research & Training Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक–शिक्षा/ 30–1/2020–21 2321 रायपुर दिनांक 26.10.20

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालय/संस्थान
.....
.....

विषय – बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./डी.एल.एड./बी.एड. पाठ्यक्रम 2020–21 में प्रवेश देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस वर्ष कोविड–19 संक्रमण के कारण व्यापम द्वारा प्री टेस्ट का आयोजन नहीं किया गया है अतः केवल इस वर्ष के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर राज्य स्तर पर, परिषद् द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। उक्त मेरिट सूची के आधार पर परिषद् द्वारा संस्थाओं को विद्यार्थी आबंटित किये जावेगे। संस्था केवल परिषद् द्वारा, उन्हें आबंटित किये गये विद्यार्थियों को ही प्रवेश दे सकेंगे। आबंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजो के परीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार सुनिश्चित करें –

1. SCERT रायपुर के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in में जाकर CHIPs की वेबसाइट के लिंक क्लिक कर अथवा सीधे चिप्स के वेबसाइट में जाकर संबंधित पाठ्यक्रम के सामने अंकित Click to apply बटन को क्लिक करें। फिर बांए तरफ दी गई institute login को क्लिक करें।
2. इसके पश्चात् अपने महाविद्यालय/संस्था के login ID व पासवर्ड का उपयोग कर आप अपने संस्था से संबंधित जानकारी को देख सकते है तथा edit भी कर सकते है।
3. जिस पाठ्यक्रम के लिए आपने login किया है, उसी login में उस पाठ्यक्रम के लिए, आपके संस्था को आबंटित किये गये अभ्यर्थियों की सूची तथा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होगी। अभ्यर्थी का पंजीयन नंबर डालकर उसका विवरण निकाल लेवें।
4. सबसे पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण करें। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है तथा अभ्यर्थी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तभी आबंटित अभ्यर्थी को प्रवेश देवे। दस्तावेजों के परीक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।
5. यदि पात्रता बनती है तो छात्र से निर्धारित शुल्क लेकर Admit के बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन प्रवेश दें तथा सिस्टम से जनरेट की हुई पावती छात्र को देकर उसकी एक प्रति अपने पास रखें।

6. यदि किसी अभ्यर्थी की अंकसूची/प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों के संबंध में कोई शंका हो तो SCERT रायपुर में गठित हाईपावर समिति से दूरभाष नंबर पर अथवा सीधे सम्पर्क करें। यदि कोई तकनीकी समस्या आती है **तो Chips के श्री बादल पटेल से उनके मोबाइल नंबर पर सीधे सम्पर्क करें।**
7. यदि किसी छात्र के दस्तावेज में कोई कमी है तो उसे उपयुक्त दस्तावेज के अभाव में अपात्र घोषित करें और उस छात्र के नाम के सामने ऑनलाइन disqualify का विकल्प क्लिक करें।
8. यदि छात्र आपके महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हो तो उसके आबंटन को निरस्त करें तथा उस छात्र के नाम के सामने cancel का विकल्प क्लिक करें।
9. यदि कोई छात्र आपके महाविद्यालय में अपना आबंटन cancel कराने आता है तो उस छात्र को cancellation आवेदन की पावती अनिवार्य रूप से दें।
10. उपरोक्त कार्य को प्रवेश के दौरान नियमित रूप से प्रत्येक दिवस करें और यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो चिप्स अथवा SCERT से सम्पर्क करें अर्थात् Updation प्रतिदिवस करना है।
11. यदि आपके महाविद्यालय को आबंटित कोई छात्र समयावधि में रिपोर्ट नहीं करता है तो अगले पेज पर जाकर उसके नाम के सामने Not Reported के विकल्प को क्लिक करें (अन्तिम प्रवेश तिथि की शाम को)।
12. आपके महाविद्यालय में आबंटित छात्रों के अस्थाई आबंटन पत्र आपके login Id में उपलब्ध रहेंगें इसकी प्रिन्ट आउट एवं ऑनलाइन प्रवेश देते समय छात्र के ऑनलाइन पावती की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

13. अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों को सत्यापन हेतु निर्देश –

I. अस्थाई आबंटन पत्र जिसमें आपके महाविद्यालय का कोड व महाविद्यालय का नाम तथा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि अंकित होगा, की जाँच कर लेवें।

II. जन्म प्रमाण–पत्र के लिए 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो या इस हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जा सकेगा। डी.एल.एड. व बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम की पात्रता हेतु 10+2 परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सवर्ग को इसमें 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। 12वीं की अंकसूची का परीक्षण कर उपरोक्तानुसार पात्रता परीक्षण सुनिश्चित करें।

III. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक उपाधिधारी (जैसे – B.E., B.A.M.S., B.C.A., M.M.B.S. इत्यादि) के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। इस प्राप्तांक में केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/संवर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है, अतः बी.एड. हेतु स्नातक (कोई भी विषय में) के तीनों वर्षो की अंकसूची के आधार पर उपरोक्तानुसार पात्रता परीक्षण करें।

IV. स्नातक (आनर्स) वाले प्रकरण में एकीकृत (एग्रीगेड) प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रदान की जाती है। इसलिए स्नातक (आनर्स) वाले प्रकरण में एकीकृत प्राप्तांक (सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग) 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

V. यदि छात्र के स्नातक में प्राप्तांक कम है और यदि वह स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है अथवा नहीं जांच कर लेंवे।

VI. विश्वविद्यालय की मान्यता हेतु UGC की वेबसाइट का अवलोकन कर लें।

VII. यदि छात्र 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले रहा है अथवा आरक्षित वर्ग में उसका चयन हुआ है तो ही जाति प्रमाण–पत्र की जांच करें।

VIII. छ.ग. के मूल निवास प्रमाण–पत्र की जांच करें।

IX. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र व आचरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश न दें।

X. यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड परिवर्तन हुआ है तो Migration Certificate आवश्यक है। इस हेतु आप अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमानुसार अभ्यर्थियों को Migration Certificate जमा करने हेतु कुछ समय प्रदान कर सकते हैं।

XI. डी.एल.एड. में डाइट/बी.टी.आई. में अभ्यर्थी के जिले का निवासी संबंधी दस्तावेज की जांच अवश्य करें। किसी विवाद की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी. हाईपावर समिति से सम्पर्क कर सकते हैं। डाइट यह भी जांच करे कि अभ्यर्थी का संकाय विज्ञान है अथवा कला संकाय है।

XII. शासकीय व अनुदान प्राप्त संस्थाओं में संवर्ग अर्थात् भूतपूर्व सैनिक/FF/विकलांग संवर्ग के कोटे में यदि अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनके प्रमाण–पत्रों की जांच करें। FF संवर्ग के लिए FF के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नतनीन होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

XIII. आबंटन पत्र में अभ्यर्थी का वर्ग एवं आबंटित वर्ग/संवर्ग की जांच करें। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है और उसकी सीट आबंटन अनारक्षित वर्ग में हुई है तो उसके जाति प्रमाण पत्र को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि उसने कोई छूट का लाभ लिया है तब जांच अवश्य करें।

XIV. कई बार सीटे रिक्त रहने के कारण सीटे परस्पर परिवर्तन कर आबंटित किया जाता है ऐसे प्रकरण में आबंटित वर्ग अनुसार नही बल्कि अभ्यर्थी के वर्ग के अनुसार उसके जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण करें।

14. चूंकि इस बार मेरिट का निर्धारण अभ्यर्थी के अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक है इस कारण अभ्यर्थी द्वारा दी गई अर्हता परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी का मिलान उसके अर्हता परीक्षा के अंकसूची में दिये गये प्राप्तांकों से करें। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रवेश न देवे तथा अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर देवें।

यदि अंतर पाये जाने के बाद भी आपके द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाता है, तो इस त्रुटि के लिए आप पर भी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा। संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय को अभ्यर्थी की सूची व सम्पूर्ण जानकारी के लिए login Id उपलब्ध कराई जायेगी। यदि किसी भी स्तर में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर प्राप्तांक की गलत जानकारी देकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हुआ तो अभ्यर्थी के विरूद्ध तथा गलत जानकारी को जानबूझकर नजरअंदाज कर प्रवेश देने हेतु आपके महाविद्यालय के विरूद्ध अपराधिक/धोखाघड़ी का मामला दर्ज किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं

जिम्मेदार होंगे। यदि छात्र से भूलवश त्रुटि हुई है तो उसे प्रवेश न देवें तथा परिषद् से सम्पर्क करने का निर्देश देवें।

15. किसी भी अभ्यर्थी से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क न लेवें।
16. प्रवेश देते समय तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखें एवं छ.ग. शासन/स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(डी.राहुल वेंकट भा.प्र.से.)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर